DR(Acad.)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा–324005

प्रबन्ध–मण्डल की 39वीं (विशेष) बैठक दिनांक 19.01.2021

कार्यवृत

प्रबन्ध–मण्डल की 39वीं (विशेष) बैठक दिनांक 19.01.2021 को अपराह्न 12:15 बजे विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन स्थित बैठक हॉल में माननीय कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नांकित उपस्थित हुए :–

	प्रो0 नीलिमा सिंह माननीय कुलपति महोदया, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	अध्यक्ष
2.	**डॉ. मोहम्मद नईम** नामित सदस्य, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
3.	**श्री टी.पी. मीणा** वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा नामित सदस्य के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	**डॉ. संजय भार्गव** नामित सदस्य, आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5.	**श्रीमती इन्द्रा मीणा** माननीय विधायक, बामनवास, सवाई माधोपुर राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
6.	**श्री पानाचंद मेघवाल** माननीय विधायक, अटरू जिला बारां राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
7.	**डॉ. एकता धारीवाल** राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्	सदस्य
8.	**डॉ. जगदीश प्रसाद सैनी** राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्	सदस्य

9. डॉ. पीयूष कुमार सालोदिया — सदस्य
प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बून्दी
राज्य सरकार. द्वारा नामित राज. महाविद्यालय, प्राचार्य

10. डॉ. राजवन्त सन्धु — सदस्य
प्राचार्य, प्रगति शिक्षण प्रशिक्षक महाविद्यालय, कोटा
राज्य सरकार द्वारा नामित निजी महाविद्यालय, प्राचार्य

11. प्रो. एन.के. जैमन — सदस्य
कुलपति द्वारा नामित आचार्य

12. प्रो. आशु रानी — सदस्य
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित अधिष्ठाता

13. प्रो. रीना दाधीच — सदस्य
कुलपति द्वारा नामित आचार्य

14. डॉ0 आर.के. उपाध्याय — सदस्य सचिव
कुलसचिव

प्रो. जॉन वर्गीस, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य एवं प्रो. मनोरंजन शर्मा, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव एवं माननीय कुलपति महोदया द्वारा सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात् प्रबंध मण्डल के पूर्व सदस्य डॉ. के.एम. हिरोनी के देवलोकगमन पर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। प्रबंध मण्डल में नवनियुक्त व पूर्व नियुक्त माननीय सदस्यों का कुलसचिव द्वारा स्वागत व अभिनंदन किया गया। माननीय कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों/गतिविधियों के संबंध में सदन को अवगत करवाया गया।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर बिन्दुवार चर्चा कर निम्नानुसार संकल्प/निर्णय पारित किये गये:–

मद सं.–1		:	**प्रबन्ध–मण्डल की बैठक (ऑनलाइन) दिनांक 20.11.2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय		:	प्रबन्ध–मण्डल की उक्त ऑनलाइन बैठक दिनांक 20.11.2020 पर प्रशासनिक निर्णय उपरांत, 39वीं (विशेष) बैठक दिनांक 19.01.2021 को विश्वविद्यालय परिसर में ऑफलाइन आहूत हुई जिसमें पूर्व ऑनलाइन बैठक दिनांक 20.11.2020 के कुछ बिन्दुओं पर प्रबन्ध–मण्डल

			में पुनः चर्चा की गई तथा उक्त बैठक के शेष निर्णयों को यथावत स्वीकार किया गया। प्रबंध मण्डल की दिनांक 20.11.2020 को हुई बैठक में निम्न बिन्दुओं पर पुनः चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–
	मद सं.–1(A)/1	:	प्रबन्ध–मण्डल की बैठक दिनांक 07.08.2019 व 10.08.2020 (by circulation method) के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।
	निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 20.11.2020 को हुई बैठक में उक्त मद पर लिए गए निर्णय को पूर्ववत् अनुमोदित किया गया।
	मद सं.–1(B)/2	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 07.08.2019 व 10.08.2020 (by circulation method) में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।
	निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 07.08.2019 में लिये गये निर्णयों के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही पर चर्चा की गई। उक्त बैठक के मद सं. 17 पर माननीय सदस्यों ने पुनः चर्चा करने की मांग उठाई। इस संबंध में माननीय कुलपति महोदया ने स्पष्ट किया कि, चेयरमेन–परीक्षा का पद मानदेय रहित है एवं परीक्षा समिति वर्ष 2013 से पूर्वानुसार ही चली आ रही है। चूंकि परीक्षा का कार्य अति–संवेदनशील प्रकृति का होने एवं अनेकों अवसर पर रात्रिकालीन ठहराव के कारण पिक–अप–ड्राप व्यवस्था के तहत वाहन सुविधा चेयरमेन–परीक्षा को प्रदान की गई है। इस प्रस्ताव पर माननीय कुलपति महोदया द्वारा एवं प्रो0 एन.के. जैमन, चेयरमेन–परीक्षा द्वारा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गई जिस पर समस्त माननीय सदस्यों द्वारा परीक्षा कार्यों के सुगम–संचालन एवं समयबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए चेयरमेन, परीक्षा की व्यवस्था को जारी रखने हेतु सहमति प्रदान की गई। प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 20.11.2020 में लिए गए शेष निर्णयों को यथावत अनुमोदित किया गया।

	मद सं.–1(C)/7	:	विश्वविद्यालय परिसर में स्थायी एवं स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से पाइप लाईन डालने के लिए तैयार करायी गयी परियोजना (अनुमानित व्यय रू. 10 करोड़) की विश्वविद्यालय के स्वयं के आय–स्त्रोतों से सम्पन्न कराने संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन करना।
	निर्णय	:	विश्वविद्यालय में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष पुनः चर्चा की गई। माननीय प्रबन्ध मण्डल सदस्य डॉ. एकता धारीवाल ने इस संबंध में प्रस्ताव रखा कि वे स्वयं एवं माननीय सदस्य इस सम्बंध में श्रीमान् शांन्ति धारीवाल जी, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री, राजस्थान सरकार को संयुक्त होकर ज्ञापन प्रस्तुत कर विश्वविद्यालय में पेयजल व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के माध्यम से पाइप लाईन डालने का कार्य करवाये जाने हेतु आग्रह करेंगे ताकि विश्वविद्यालय कार्मिकों एवं विद्यार्थियों को अतिशीघ्र स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। इस प्रस्ताव पर प्रबन्ध–मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई ।
	मद सं.–1(D)/8	:	वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र क्र. प. 9(1)वित्त–1(1) आ. व्य./2020 दिनांक 03.09.2020 के क्रम में विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवनों को छात्रों के लिए उपयोगी बनाने हेतु फर्नीचर क्रय करने के लिए शिथिलता प्रदान करने संबंधी प्रस्तावों का प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन करना।
	निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 20.11.2020 में वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र दिनांक 03.09.2020 के क्रम में विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवनों को छात्रों के लिए उपयोगी बनाने हेतु फर्नीचर क्रय करने के लिए शिथिलता प्रदान करने सम्बंधी प्रस्तावों को अनुमोदित करते हुए तथा राज्य सरकार को सूचित करते हुए फर्नीचर क्रय करने की अभिशंषा की गई।

	मद सं.–1(E)/11	:	विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त सेवानिवृत कार्मिक को रखे जाने सम्बन्धी आदेशों को रिपोर्ट करने हेतु।
	निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल द्वारा माननीय कुलपति महोदया के आदेशों की पुष्टि की गई। चूंकि पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा त्याग–पत्र दिया जा चुका है। अतः प्रकरण स्वतः समाप्त हो जाता है।
	मद सं.–1(F)/13	:	विश्वविद्यालय को बी.फार्म. पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार से स्वीकृत शैक्षणिक संवर्ग के 08 अस्थाई प्रकृति के पदों को भरे जाने की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव।
	निर्णय	:	विश्वविद्यालय को बी.फार्म. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु राज्य सरकार से स्वीकृत शैक्षणिक संवर्ग के 08 अस्थाई प्रकृति के पदों को नियमानुसार भरे जाने का निर्णय लिया गया तथा उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु रखे गये अस्थायी विभागाध्यक्ष के संबंध में हुये विचार–विमर्श उपरान्त निम्नांकित तथ्यों की पुष्टि की गईः– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विश्वविद्यालय के स्वयं के आय स्त्रोतों को सुदृढ़ करने हेतु जारी निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय ने पहल करते हुये हाड़ौती क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए फार्मेसी के क्षेत्र में भी अध्ययन के अवसर प्रदान करवाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनेक कठिनाइयों को पार करने के बाद सत्र 2019–2020 के लिए 60 सीटों पर प्रवेश के साथ बी.फार्म. पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए PCI एवं AICTE की मान्यता प्राप्त की गई थी। PCI द्वारा दिनांक 10 जून 2019 को जारी मान्यता पत्र में वर्णित निर्णय "For B.Pharm. course-It was further decided that above approval is subject to (ii) appointment of the Principal and teaching staff asper the qualification and experience prescribed under Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014 failing which no admission shall be made" के अनुसार बी.फार्म. पाठ्यक्रम के संचालन के लिए विभागाध्यक्ष एवं शैक्षणिक स्टाफ को रखा जाना अनिवार्य था। इसलिए बी.फार्म. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु

			आवश्यक योग्यताधारी अतिथि आचार्य व विभागाध्यक्ष का मानदेय निर्धारित करने के लिए प्रकरण को विद्या–परिषद् की दिनांक 09.07.2019 को हुई 16वीं बैठक में रखा गया। विद्या–परिषद् की बैठक में चर्चा उपरान्त AICTE द्वारा Resource Person/Adjunct Faculty को दिए जा रहे अधिकतम मानदेय रुपये 80000/–प्रतिमाह को आधार मानते हुए विभागाध्यक्ष के लिए फार्मेसी के आचार्य को रुपये 80000/–प्रतिमाह पर अस्थायी/अनुबन्ध के तौर पर रखे जाने की अनुशंसा की गई जिसे प्रबन्ध–मण्डल द्वारा दिनांक 07–08–2019 को हुई 36वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। सत्र 2020–2021 के लिए अतिथि शैक्षणिक स्टाफ को नए सिरे से अनुबन्ध पर रखा जाकर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.1(3)/शिक्षा–4/2010 दिनांक 26.05.2014 के अनुसार तथा विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत अतिथि आचार्य को नए सिरे से अनुबन्ध पर रखा जाकर विद्या–परिषद् एवं प्रबन्ध–मण्डल के निर्णय के अनुसार निश्चित मानदेय दिया जा रहा है। अब राज्य सरकार द्वारा फार्मेसी के 08 अस्थायी शैक्षणिक पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। राज्य सरकार स्तर पर लम्बित आरक्षण के लिए रोस्टर प्रणाली की स्वीकृति के बाद भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण कर ली जावेगी। शैक्षणिक पदों पर भर्ती के बाद सत्रवार रखे गए अतिथि शैक्षणिक स्टाफ एवं विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत अतिथि आचार्य स्वतः ही कार्यमुक्त हो जायेंगे। दिनांक 07.08.2019 को हुई प्रबन्ध–मण्डल की 36वीं बैठक में अतिथि आचार्य व विभागाध्यक्ष के लिए मानदेय निर्धारित करने हेतु लिए गए निर्णय पर प्रबन्ध–मण्डल इस बैठक में सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई तथा साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि यदि आगामी सत्र 2021–2022 में भी अस्थायी तौर पर अतिथि आचार्य को रखे जाने की आवश्यकता पड़ती है तो अतिथि आचार्य को अनुबन्ध पर रखे जाने से पूर्व प्रबन्ध–मण्डल की स्वीकृति ले ली जावे।

	मद सं.– 1(G)/14 (ii)	:	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्मिकों को प्रबन्ध मण्डल द्वारा पूर्व स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम की संशोधित राशि की स्वीकृति एवं संशोधित ब्याज दर प्रभावी किये जाने के संबंध में अध्यक्ष, अशैक्षणिक कर्मचारी संघ, को.वि.वि., कोटा से प्राप्त अभ्यावेदन क्रमांक 135 दिनांक 18.01.2021 विचारार्थ एवं समुचित आदेशार्थ ।
	निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.12.2009 के निर्णय संख्या 7.6 की अनुपालना में, विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्मिकों को पूर्व स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम राशि को संशोधित/प्रस्तावित किये जाने के संबंध में अध्यक्ष, अशैक्षणिक कर्मचारी संघ से प्राप्त ज्ञापन सं. 135 दिनांक 18.01.2021 पर प्रबन्ध–मण्डल द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत, सर्व–सम्मति से भवन निर्माण अग्रिम राशि में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया :–

Existing Provisions		Amended Provisions	
Category	Limit	Category	Limit
For employees Drawing Pay upto Rs. 10, 000 P.M.	8.00 Lac	For employees Drawing Pay upto Rs. 20,000 P.M.	15.00 Lac
For employees Drawing Pay upto Rs. 25, 000 P.M.	14.00 Lac	For employees Drawing Pay upto Rs. 40,000 P.M.	30.00 Lac
For employees Drawing Pay above Rs. 25, 000 P.M.	20.00 Lac	For employees Drawing Pay above Rs. 60,000 P.M.	50.00 Lac

साथ ही, म. द. स. वि. वि., अजमेर के कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ. 6 ( )विवले /मदसविवि/202/7599 दिनांक 02.06.2020 द्वारा विश्वविद्यालय भवन निर्माण अग्रिम के अन्तर्गत देय ब्याज दरों में संशोधन (प्रचलित दरों में एक प्रतिशत की कमी) को कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में प्रवृत मान्य किये जाने के संबंध में भी प्रबन्ध–मण्डल की बैठक के समक्ष चर्चा की गई। प्रबन्ध मण्डल द्वारा चर्चा उपरांत सर्व–सम्मति से सहमति व्यक्त की गई कि चूंकि म.द.स.वि.वि., अजमेर के सेवा व

			लेखा नियम ही वर्तमान में कोटा विश्वविद्यालय में प्रभावी है, अतः भवन निर्माण अग्रिम के अंतर्गत देय अग्रिम पर ब्याज दरों में संशोधन को इस विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदन की तिथि से प्रवृत मान्य किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए निम्नानुसार संशोधन का अनुमोदन प्रदान किया गया : क्र.सं. | अग्रिम राशि | प्रचलित ब्याज दर | संशोधित ब्याज दर 1 | रू. 50,000/– तक | 8.50% | 7.50% 2 | रू.50,000/–से रू. 1,50,000/–तक | 9.00% | 8.00% 3 | रू.1,50,001/–से रू. 5,00,000/– तक | 10.00% | 9.00% 4 | रू. 5,00,000/– से अधिक | 11.00% | 10.00% सदन द्वारा यह मत भी व्यक्त किया गया कि भविष्य में म.द.स. वि.वि., अजमेर द्वारा भवन ऋण अग्रिम पर ब्याज दर का संशोधन किया जाता है। तद्नुसार संशोधित ब्याज दर कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में प्रभावी रहेगी।
मद सं.–2		:	विद्या–परिषद की विशेष बैठक (ऑनलाइन) दिनांक 11.01.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना ।
निर्णय	मद सं. 1	:	विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 11.01.2021 के बिन्दू सं. 1 का अनुमोदन किया गया ।
	मद सं. –2 (1)	:	विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम बार मानद उपाधि प्रदान किये जाने हेतु श्री गोपाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, संवाददाता व स्वयंसेवी के नाम का प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना ।
	निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल द्वारा श्री गोपाल शर्मा को मानद उपाधि प्रदान किये जाने पर सर्व–सम्मति से असहमति व्यक्त की गयी तथा उक्त प्रस्ताव को निरस्त किया गया।
	मद सं. –2 (2)	:	विश्वविद्यालय शिक्षकों को सीएएस के तहत पदोन्नति प्रदान करने तथा रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ करने हेतु चयन समिति की बैठक में बुलवाये जाने वाले विषय–विशेषज्ञों का पेनल आरपीएससी को Short-list करवाने हेतु भिजवाने सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन।

	निर्णय	:	विद्या–परिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2021 के बिन्दु सं. 2(2) में की गई अनुशंपाओं को अनुमोदित किया गया। माननीय प्रबन्ध मण्डल सदस्य श्रीमती इन्द्रा मीणा ने सदन को अपनी राय व्यक्त की गयी कि विषय–विशेषज्ञों के पेनल तैयार करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपलब्ध विषय–विशेषज्ञों का भी ध्यान रखा जावे।
मद सं. –3		:	अन्य मद आसन की अनुमति से
		:	1. कोटा वि.वि., कोटा में अशैक्षणिक कर्मचारियों को वाहन अग्रिम की स्वीकृति एवं संशोधित ब्याज दर प्रभावी किये जाने के संबंध में अध्यक्ष, अशैक्षणिक कर्मचारी संघ, को.वि.वि., कोटा से प्राप्त अभ्यावेदन क्रमांक 137 दिनांक 18.01.2021 विचारार्थ एवं समुचित आदेशार्थ।
	निर्णय	:	माननीय प्रबंध मण्डल सदस्य एवं माननीय विधायक श्री पानाचंद मेघवाल जी तथा अन्य माननीय प्रबंध मण्डल सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय कार्मिकों को उक्त वाहन की सुविधा स्वीकृत किये जाने हेतु सहर्ष अनुशंषा की। तद्नुसार महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के प्रबन्ध मण्डल की बैठक 01.07.05 के निर्णय संख्या 18/28 की अनुपालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांकःएफ.6( ) विवले–II/मदसविवि/2005/2991 दिनांक 25.07.2005 द्वारा कार्मिकों को विश्वविद्यालय के वाहन अग्रिम नियमों के तहत स्वीकृत वाहन अग्रिम एवं इस संदर्भ में अध्यक्ष, अशैक्षणिक कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन संख्या 137 दिनांक 18.01.2021 पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा चर्चा उपरांत, म.द.स. वि.वि., अजमेर द्वारा स्वीकृत उक्त वाहन अग्रिम के समरूप वाहन अग्रिम की सुविधा को कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के कार्मिकों को निम्नानुसार संशोधित/प्रस्तावित राशि अनुसार स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया :–

S. No.	Particulars	Existing	Revised
1.	For Purchase of New Motor Car or Jeep	15 Months Pay OR Rs. 3.00 Lacs OR 80% of the actual Price of Motor Car, whichever is less.	20 Months Pay OR Rs. 8.00 Lac OR 80% of the actual price of Motor Car, whichever is less
2.	For Scooter/Motor Cycle/ Moped/ Auto Cycle	10 Months Pay OR Rs. 50,000/- OR 80% of the actual Price of Motor Cycle/ Moped/Auto Cycle, whichever is less.	15 Months Pay OR Rs. 1,00,000/- OR 80% of the actual Price of Motor Cycle/Moped / Auto Cycle, whichever is less.

साथ ही म.द.स. वि.वि., अजमेर के कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ.6( )विवले/मदसविवि/2020/7599 दिनांक 02.06.2020 से विश्वविद्यालय वाहन अग्रिम नियमों के अन्तर्गत देय ब्याज दरों में संशोधन (प्रचलित दरों में एक प्रतिशत की कमी) को कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में प्रवृत मान्य किये जाने के संबंध में भी प्रबन्ध–मण्डल की बैठक के समक्ष चर्चा की गई। प्रबन्ध–मण्डल द्वारा चर्चा उपरांत सर्व–सम्मति से सहमति व्यक्त की गई कि चूंकि म.द. स. वि.वि., अजमेर के सेवा व लेखा नियम ही वर्तमान में कोटा विश्वविद्यालय में प्रभावी है, अतः वाहन अग्रिम के अंतर्गत देय अग्रिम पर ब्याज दरों में संशोधन को इस विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदन की तिथि से प्रवृत मान्य किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए निम्नानुसार संशोधन का अनुमोदन प्रदान किया गया :–

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	प्रचलित ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर
1	साईकिल	9.00	8.00
2	स्कूटर/ मोपेड/ मोटर साईकिल (दो पहिया वाहन)	11.50	10.50
3	मोटर कार	15.00	14.00

सदन द्वारा यह मत भी व्यक्त किया गया कि भविष्य में म.द.स. वि.वि., अजमेर द्वारा वाहन ऋण अग्रिम पर ब्याज दर का संशोधन किया जाता है। तद्नुसार संशोधित ब्याज दर कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में प्रभावी रहेगी।

2. **विश्वविद्यालय शिक्षकों से सी.ए.एस. के तहत् पदोन्नति प्रदान करने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन विचारार्थ एवं समुचित आदेशार्थ।**

निर्णय : विश्वविद्यालय शिक्षकों से सी.ए.एस. के तहत् पदोन्नति के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत चर्चा हुई। इस संबंध में प्रबंध–मण्डल को अवगत कराया गया कि तत्समय वर्ष 2017 में सी.ए.एस. के तहत् पदोन्नति प्रदान करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया, जिससे कतिपय सदस्यों की यह राय थी कि सी.ए.एस. के तहत् पदोन्नति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार से अनुमति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा चर्चा के दौरान मान्य सदस्यों की यह भी राय थी कि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के संबंध में माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण कार्मिकों के विरूद्ध व्यक्तिगत रूप से न होकर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में दर्ज याचिका अपराध संख्या 232/2017 में एफ.आर. भी लग चुकी है।

			उक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रबंध–मण्डल ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि पिछले पांच वर्षों से लम्बित विश्वविद्यालय शिक्षकों की पदोन्नति विश्वविद्यालय के पेनल अधिवक्ता से दिनांक 29.10.2020 को प्राप्त विधिक राय के अनुसार माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन एवं शिक्षकों से शपथ–पत्र/अण्डरटेकिंग लेकर की जाये तथा राज्य सरकार से माह दिसम्बर 2020 में प्राप्त पत्र के प्रत्युत्तर के साथ प्रबंध–मण्डल के इस निर्णय से राज्य सरकार को अवगत करवाते हुए विश्वविद्यालय शिक्षकों की करियर उन्नति योजना (सी.ए.एस.) के तहत पदोन्नति हेतु अतिशीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ करवाया जाना सुनिश्चित करे।

अन्त में कुलपति महोदया ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव